

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,

श्री साई, हौस्पिटल

कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.5.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	तुफानी पासवान पिता-गजाधर पासवान ग्राम-विशुनपुर गोपालपुर पो०-लालु छपरा थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर	जख्म (अलसर) रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल रू० 40,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 40,000/- (चालीस हजार) का क्रास चेक सं०... ~~387844~~ मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन


ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 19.05.16

ज्ञापांक 725(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
31.5.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	भोजु बिन्द पिता-परमेश्वर जमादार ग्राम+पो०-नरसंडा थाना-चंडी जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	रेखा देवी पति-उमा कान्त मंडल ग्राम-योगीपुर, पो०-तामगंज थाना-नरपतगंज जिल-अररिया	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	अन्नु कुमारी पिता-स० उमेश भगत ग्राम+पो०-बड़का गांव थाना-भगवानपुर हाट जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
4	रवि कुमार पिता-विनोद कुमार ग्राम-पोस्टल कालोनी नं०-2 दहियावा, पो०-छपरा थाना-भगवान बाजार जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
5	अमृता देवी पति-राम कुमार राय ग्राम-छपराढी पो०-कुआढ, थाना-खजौली जिला-मधुबनी	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।

21/11/16
19/11/16

6	मुन्नी लाल साह पिता-स्व जय किशुन साह ग्राम+पो0-हरदीया थाना-तुरकौलीया जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	देवन्ती देवी पति-रामजी सिंह ग्राम-पो0-चमनपुरा थाना-बैकुंठपुर जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल रू0 7,80,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,80,000/- (सात लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 387848 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 387848 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 732(14)

पटना, दिनांक 19.05.16

प्रतिलिपि- लेखापोल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री जनार्दन सिंग्रीवाल सांसद, महाराजगंज पता-सी-1/19, पंडारा पार्क नई दिल्ली सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.05.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.5.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विकास महतो पिता-हरि किशुन महतो ग्राम-गोलाबान्ध रोड पो०-प्रधान डाकघर थान-नगर जिला-मुजफ्फरपुर	घुटना प्रत्यारोपण	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	धर्मेन्द्र सिंह पिता-स्व. लालु सिंह ग्राम+पो०-मौदह बुजुर्ग थाना-पालेपुर जिला-वैशाली	हड्डी एवं नस रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	प्रीतम कुमार पिता-राजनन्दन शर्मा ग्राम-मालीघाट पो०-रमना, थाना-भीठनपुरा जिला-मुजफ्फरपुर	हड्डी एवं नस रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	अमीना खातुन पति-मरहुम रफीक ग्राम-गोविन्दपुर कुर्था पो०+थाना-फतुहा जिला-पटना	हड्डी एवं नस रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,00,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387847 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

21/5/16

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक
ज्ञापांक प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 387847 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 19.05.16
ज्ञापांक 73#(14) प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.5.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड हौस्पिटल, एडं रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	तारा देवी पति-मंगल प्रसाद ग्राम-चौतरीया टोला पो०-बेतिया, थाना-बैरिया जिला-प० चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	रमेश सिंह पिता-स्व. राम उचित सिंह ग्राम-पो०-थाना-देसरी जिला-वैशाली	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	चन्दा देवी पति-राजदेव पटेल ग्राम-पो०-सिरिसीया खुर्द थाना-आदापुर जिला-पूर्वी चम्पारण	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	शंभु प्रसाद सिंह पिता-उमेश प्रसाद सिंह ग्राम-पो०-ठाठोपुर थाना-बहेरी जिला-दरभंगा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
5	जय कान्त कुमार पिता-राम लखन प्रसाद ग्राम-मंसुरचक पो०-तेज बीगहा थाना-काको जिला-जहानाबाद	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

31/11/16
19/11/16

6	रबया खातुन पति-फिरोज हुसैन ग्राम-नीपनीया पो0-सलेमपुर थाना-इसुआपुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
7	रामानन्द पंजियारा पिता-बालदेव पंजियारा ग्राम+पो0+थाना-असरगंज जिला-मुंगेर	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
8	रविन्द्र राय पिता-रामप्रीत राय ग्राम-कोल्हरामपुर पो0-पंचरूखीया कला थाना-बड़हरा जिला-भोजपुर, आरा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
9	विमला देवी पति-शंभु सिंह ग्राम-तारोपुर पो0-तेयार, थाना-नरहट जिला-नवादा	घुटना प्रत्यारोपण	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
10	कमला देवी पति-महेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम-शिवन पो0-धनेज, थाना-करगहर जिला-रोहतास	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 12,41,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,41,000/- (बारह लाख एकतालीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387846.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

20/11/18
19/11/18

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~387846~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

730(14)

पटना, दिनांक

19.5.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21/5/16

सं० सं०- 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,

एस.एस. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	गायत्री देवी पति-देवी दयाल राय ग्राम-अल्हनपुरा पो०+थाना-बिहटा जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	संजु देवी पति-विश्वनाथ सिंह ग्राम-पो०-सरासत थाना-नौबतपुर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	रंजु देवी पति-संजय राय ग्राम-सिकन्दरपुर पो०-रजौरा, थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	तृप्ति सिंह पिता-स्व. मुगली सिंह ग्राम+पो०-कोचगांव थाना-वारसलीगंज जिला-नवादा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,60,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387845 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।

21/11/17
/ 19/11/17

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक पटना, दिनांक
प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए
अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 387845 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में
वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 727 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित
मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 19.5.16

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
आ. (हिन्द)

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

श्रीजयदेवा इंस्टीच्युट ऑफ काडियो वासकुलर

साइंस एंड रिसर्च बंगलौर, कर्नाटका-560069 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.5.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	स्वीटी कुमारी पिता-विजय कुमार सिन्हा ग्राम+पो०+थाना-डोभी जिला-गया	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,25,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) रूपया का क्रास चेक सं०.... 387862.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

800 (14)

पटना, दिनांक

11/6/16

प्रतिलिपि-लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/5/16

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

31-5-16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
अधीक्षक/निदेशक,
राजेन्द्र इंस्टीच्युट ऑफ
मेडिकल साइंस, रांची ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.5.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	दमयन्ती देवी पति-जैनेन्द्र शर्मा ग्राम-कटरिया पो०-बेनीगीर थाना-मुफसिल जिला-मुगेर	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 85,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि 85,000 (पचासी हजार) का क्रास चेक सं०.....387863.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 801 (14)

पटना, दिनांक 1/6/16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियाँ में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/5/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के स मक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो. दानीश इकबाल पिता-स्व.मो० जहाँगीर आलम ग्राम-खेतारी मोहल्ला पो०-आरा थाना-टाउन जिला-भोजपुर यू०एच०आईडी-101198446	कुल्हा प्रत्यारोपण रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
2	मांशु कुमारी पिता-श्याम सुन्दर पोद्दार ग्राम-छोटी बलीया उपर टोला पो०-लखमीनीया थाना-बलिया जिला-बेगुसराय सी.आर.नं०-101552290	ऐ-प्लास्टिक ऐनिमिया	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	पुनम देवी पति-विजय कुमार मिश्र ग्राम-भृंगीचक पो०-सैमरिया थाना-कटेया जिला-गोपालगंज सी.आर.नं०-100860412	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,30,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387864 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

31/5/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 387864 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

पटना, दिनांक

ह0 /-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 1/6/16

ज्ञापांक 802(14)
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/5/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.5.16

सं० सं० 14 / एम 11-3 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में .

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अर्जुन कुमार पिता-बच्चा महतो ग्राम-पो०+थाना-बैकुंठपुर जिला-गोपालगंज सी.भी.नं०-3538 / 16	हृदय रोग	₹ 92,000 /-(बानवे हजार) स्वीकृत।
2	कालीका यादव पिता-मलीका यादव ग्राम-गोला घाट पो०-डुमरी थाना-योगा पट्टी जिला-प० चम्पारण सी.भी.नं०-14573 / 15	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,17,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,17,000 /-(दो लाख सतरह हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387865 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584258, खाता धारक का नाम- AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

31/11/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 387865 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

पटना, दिनांक

ह0/-

निदेशक प्रमुख(प्रशासन)

ज्ञापांक

803(14)
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) श्री मिथलेश कुमार तिवारी, स0वि0स0, पता-फ्लैट नं0 4सी, जानकी कुटीर एपार्टमेंट, अम्बेदकर पथ रूकनपुरा पटना 800014/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक

1/6/16

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
श्री. मिथलेश कुमार तिवारी

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	दया कान्त कामत पिता-श्री चन्द्र कामत ग्राम-भरहा, पो०-बथनाहा थाना-फुलपरास जिला-मधुबनी	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	विकास कुमार यादव पिता-चन्द्र मोहन यादव ग्राम-पो०-अकौर थाना-बेनीपट्टी जिला-मधुबनी	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	गोविन्द कुमार पिता-महेश साह ग्राम-पो०-बरही थाना-मोतीपुर जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	जितेन्द्र कुमार पिता-स्व. सत्य नारायण साह ग्राम-राजा बाजार बिहियां पो०+थाना-बिहियां जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
5	तपेश्वरी देवी पति-देवेन्द्र राय ग्राम-सरगट्टी पो०+थाना-गड़खा जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
6	संजीदा खातुन पति-असलम आलम ग्राम-मउ काजी मोहल्ला पो०+थाना-विद्यापती नगर जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।

2017/1/3
3/1/17

7	शिवानी सिंह पति-संजीव कुमार सिंह ग्राम-भगवान बनचोल्हा पो0-खजुरी थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
8	मंजु देवी पति-राम निवास सिंह ग्राम-नहवा पो0-हांसाडीह थाना-मसौड़ी, जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल रू0 6,95,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,95,000/- (छः लाख पनचानवे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 387867 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 387867 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 809(14)

पटना, दिनांक 02.06.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.6.16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.5.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	जय प्रताप पिता-विष्णु दयाल सिंह ग्राम-जवाहर टोला पो०-थाना-नवादा जिला-भोजपुर	हड्डी रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
2	सुभाष तिवारी पिता-मिथलेश तिवारी ग्राम-मिल्की पो०-अच्छुआ, थाना-पालीगंज जिला-पटना	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
3	श्रुती कुमारी पिता-स्व. मनोज कुमार ग्राम-मेन बाजरा रोसड़ा पो०+थाना-रोसड़ा जिला-समस्तीपुर	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 2,00,000/- (दो लाख) मात्र का क्रास चेक सं० 387868
...मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुपयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

810 (14)

पटना, दिनांक

02/06/16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई.

टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

२१.६.१६

सं० सं०- 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
एस.एस. हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विनोद कुमार सिंह पिता-राम जन्म सिंह ग्राम-पो०-कुतुबपुर थाना-विदुपुर जिला-वैशाली	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	नमिता देवी पति-विपत गोप ग्राम+पो०+था०-कराय पर सुराय, जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	धिरेन्द्र पाण्डेय पिता-स्व. कान्त लाल पाण्डेय ग्राम+पो०-ढोलबजा थाना-फारबीसगंज जिला-अररिया	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
4	सबीता देवी पति-अनिल सिंह ग्राम-पो०-मंझौल थाना-चेरिया बरियारपुर जिला-बेगुसराय	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,20,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 287869 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।

31/11/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त **(unutilised)** राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...387869...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

811(14)

पटना, दिनांक 02.06.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.6.16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हौस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.5.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	पप्पु साव पिता-कारु साव ग्राम-पो०-तेयार थाना-अकबरपुर जिला-नवादा	घुटना प्रत्यारोपण रोग	₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) स्वीकृत।
2	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता-स्व. रामानन्द सिंह ग्राम-पो०-रुकुनपुर थाना-फतुहा, जिला-पटना	हड्डी रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
3	सुशांत राज पिता-उपेन्द्र कुमार ग्राम-अरियावा, पो०-असरफपुर थाना-नगर नौसा जिला-नालंदा	हड्डी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	कौशल्या देवी पति-सियाराम साह ग्राम-कोकना पो०-परमानन्दपुर थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी	हिप रिप्लेसमेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,30,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387870 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

31/10/16
31/10/16

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 887870 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 812 (14)

पटना, दिनांक 02.06.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.6.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अनुज कुमार मिश्रा पिता-स्व. बद्री मिश्रा ग्राम-पो०-अतिमी थाना-नावानगर जिला-बक्सर	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
2	चंचला कुमारी पति-सुधीर प्रसाद ग्राम-प्राणचक पो०+थाना-रजौली जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
3	शफीया खातुन पति-मो० इशादुल्लाह ग्राम-आजाद कौरीहार चौक पो०-कौरीहार, थाना-रक्सौल जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
4	शंकर पंडित पति-बिन्दा पंडित ग्राम-रामजी दुबे टोला पो०-लौखान थाना-ढाका पी०एस० जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	हरिश चन्द्र सिन्हा पिता-स्व. रमेश सिन्हा ग्राम-सीतामढ़ी वार्ड नं०-16 पो०+थाना+जिला-सीतामढ़ी	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

31/5/16

6	बच्चा प्रसाद पिता-स्व. राम शरण प्रसाद ग्राम-चटीया टोला धुप साह पो0-थाना-मलाही जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	कलामुद्दीन अंसारी पिता-मोख्तार मियां ग्राम-चौराव पो0-थावे थाना+जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	मुकेश कुमार पिता-गजेन्द्र प्रसाद ग्राम+पो0-बाबु अमौना थाना-दाउदनगर जिला-औरंगाबाद	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
9	सुनीता देवी पति-सुशील प्रसाद सिंह ग्राम+पो0-भददी थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
10	रीमा सिंह पति-विकास कुमार ग्राम-कसमरीया पो0-धुवडीहा थाना-चरपोखरी जिला भोजपुर	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
11	महेन्द्र झा पिता-स्व. चतुर्भुज झा ग्राम-नरायणपुर पो0-बिरना लखन लेन थान-महुआ जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
12	रामानन्द राम पिता-स्व0 रसीक राम ग्राम-पो0-चोढली थाना-बेलदौर जिला-खगड़िया	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 12,90,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,90,000/- (बारह लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 387871.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 387871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

814(14)

पटना, दिनांक 02.06.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों का/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/5/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
श. हिन्द

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.5.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सोनावती देवी पति-स्व. महेन्द्र महतो ग्राम+पो०+थाना-सोनवर्षा जिला-सीतामढ़ी सी०आरनं०-157783/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	राम दुलारी देवी पति-विद्या सागर पासवान ग्राम-बनहारा पो०-खीजीरचक थाना-तेघड़ा जिला-बेगसराय सी.आरनं०-55228/16	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	जैबुन खातुन पति-तार हुसैन ग्राम-तेरवाखुरी पो०-भोजपुर, थाना-तारावाड़ी जिला-अररिया सी.आरनं०-117215/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	वृन्दा कुमार पिता-साधु शरण सिंह ग्राम-साहेब नगर पो०-जट डुमरी थाना-गौरीचक जिला-पटना सी.आरनं०-38089/16	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।

31/5/16

5	शोभा देवी पति-रामायण राम ग्राम+पो0-बरीयरीया थाना-संग्रामपुर जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-21933 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
6	मो. इलियास पिता-मो0 हादीश ग्राम-इसापुर पो0-फुलवारीशरीफ थाना-फुलवारी, जिला-पटना सीआरनं0-59944 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /--(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
7	शैलेन्द्र पाण्डेय पिता-मुन्द्रिका पाण्डेय ग्राम-पो0+थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर सीआरनं0-42835 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
8	क्रान्ति देवी पति-राधे श्याम पासवान ग्राम-दोगाय, पो0-कछीयाना थाना+जिला-लखीसराय सीआरनं0-29776 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
9	सिकन्दर प्रसाद पिता-विद्या प्रसाद ग्राम+पो0-बखरीया थाना-मझौलीया जिला-प0 चम्पारण सी.आरनं0-55390 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
10	उपेन्द्र प्रसाद साह पिता-स्व. बुटाई साह ग्राम+पो0-हुस्सेपुर दोबंदा थाना-साहेबगंज जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं0-52671 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
11	अनिता देवी पति-रघुवीर साह ग्राम-रिखौली पो0-पकटोला थाना-डुमरा जिला-सीतामढी सीआरनं0-6642 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
12	मालती देवी पति-बदन साव ग्राम-पटेल नगर गया रोड इस्लामपुर, पो0+थाना-इस्लामपुर जिला-नालंदा सी.आरनं0-53665 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।

31/11/16
31/11/16

13	शिवजी राय पिता-मोती राय ग्राम-सबलपुर हस्ती टोला पो0-थाना-सोनपुर जिला-सारण सी.आरनं0-35432 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
14	विश्वनाथ महतो पिता-जय नारायण महतो ग्राम-मधुरापुर-02 पो0+थाना-तेघड़ा जिला-बेगुसराय पंजी / ओ.पीडी / 058366 / 13	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
15	उर्मिला देवी पति-लालदुन पासवान ग्राम-शिवैय सिंहपुर पो0-मल्हीपट्टी बहादुरपुर थाना-अशोक पेपर मिल जिला-दरभंगा सीआरनं0-54453 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
16	भगवनीया देवी पति-राम ईश्वर यादव ग्राम-कमलपुर पो0-अमहारा थाना-बिहटा जिला-पटना सी.आरनं0-23500 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
17	मो. तनवीर आलम पिता-मो. नाजीर अंसारी ग्राम-नार्थ मंदिरी पटना पो0-जी0पी0ओ0 थाना-बुद्धा कालोनी जिला-पटना सी.आरनं0-43831 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
18	तबसुम खातुन पति-मुस्तफा खॉ ग्राम-पीपरा पो0-अढवा थाना-वजीरगंज जिला-गया पंजीसं0-89549 / 13	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000 / -(चालीस हजार) स्वीकृत।
19	कौशल्या देवी पति-कमला साह ग्राम-कन्हौली पो0-कन्हौली मनोहर थाना-बनियापुर जिला-सारण सीआरनं0-48615 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

31/11/13
31/11/13

20	रेखा देवी पति-प्रदीप कुमार देव ग्राम-कुपारी पो0-परमानन्दपुर थाना-रानीगंज जिला अररिया सी.आरनं0-60481 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
21	पुनीता देवी पति-लक्ष्मण साह ग्राम+पो0+थाना-पुरैनी जिला-मधेपुरा सी.आरनं0-33617 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
22	पार्वती देवी पति-स्व. यमुना प्रसाद ग्राम-महाराजगंज पो0+थाना-रफीगंज जिला औरंगाबाद सी.आरनं0-87672 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
23	सत्य नारायण सिंह पिता- गुरुचरण सिंह ग्राम-मनोहर बंसत पो0-बंसत थाना-अवतार नगर जिला-सारण सी.आरनं0-34162 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
24	सुशीला देवी पति-फेंकन दास ग्राम-शेखपुरा पो0-बी0भी0कालेज थाना-एयरपोर्ट जिला-पटना सी.आरनं0-55168 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
25	परमानन्द राय पिता-स्व. मंटु राय ग्राम+पो0-माधोपुर थाना-मढ़ौरा जिला-सारण सी.आरनं0-39865 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
26	गीता पटेल पति-राम विनोद पटेल ग्राम-खैरा पो0-अंगराही थाना-दाउदनगर जिला-औरंगाबाद सी.आरनं0-9684 / 15 21/11/13 21/11/13	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।

27	सुषमा देवी पति-जितेन्द्र पाण्डेय ग्राम+पो0-सौरै थाना-वेन जिला-नालंदा सी.आरनं0-52825 / 16	किडनी रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 18,05,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 18,05,000/- (अठारह लाख पांच हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 387866 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।



विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 387866 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

804 (14)

पटना, दिनांक

11/6/16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग पता-12 ए0 बेली रोड पटना 800015/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.6.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड हॉस्पिटल, एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	जुली देवी पति-दिलिप झा ग्राम-कोला नारायणपुर पो०-डंडा बाजार थाना-जगदीशपुर जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
2	पिंकी देवी पति-मुकेश कुमार ग्राम-नौआवाग पो०+थाना-मसौड़ी जिला-पटनना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	शकुन्तला देवी पति-श्रीपती पासवान ग्राम-अब्दुलहीचक पो०-माफी थाना-अस्थावां जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	शांति देवी पति-जय प्रकाश सिंह ग्राम-पथरा पो०-तीनेरी थाना-गुरारू जिला-गया	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

3/5/16

5	रंजय कुमार पिता-स्व. हरदेव सिंह ग्राम-नरगदा पो0-जमसौत थाना-शाहपुर, जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
6	मो. गजनफर आलम पिता-स्व. मो0 महमुद आलम ग्राम-लालकोठी, दानापुर कैंट पो0-दानापुर कैंट थाना-दानापुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
7	सुरेश नन्दन पासवान पिता-राम कृपाल पासवान ग्राम-नैनचक पो0-थाना-खगौल जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	सबल कुमार पिता-शिव शरण प्रसाद ग्राम-सदु बीगहा पो0-तीना थाना-नगर नौसा जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
9	राम वृक्ष साव पिता-फग्गु साव ग्राम-जैतीया पो0-धोवडीहा थाना-खुदागंज जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	बिट्टु कुमार पिता-बिन्देश्वरी महतो ग्राम+पो0-किरणपुर थाना-मेदनी चौकी जिला-लखीसराय	प्लास्टिक सर्जरी	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
11	लखनदेव सिन्हा पिता-रघुनन्दन सिंह ग्राम-शिवपुरी रामचन्द्रपुर पो0-बिहार शरीफ थाना-लहेरी जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
12	विजय कुमार सिंह पिता-स्व. इन्द्रदेव सिंह ग्राम-खरौनी पो0-सखुआ थाना-उदवन्त नगर जिला-भोजपुर	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) स्वीकृत।

31/11/21
30/11/21

13	नीतीश कुमार पिता-अर्जुन महतो ग्राम-सदहा पो0+थाना-सरमेरा जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
14	मंजु देवी पति-श्याम नारायण राय ग्राम- दाउदनगर पो0-दाउदनगर चकगढो थाना-विदुपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
15	कौशल कुमार पिता-बैजनाथ यादव ग्राम-रामगंज पो0-साहो बिगहा थाना-घोषी, जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 14,64,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,64,000/- (चौदह लाख चौंसठ हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 387872 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 387872 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 815(14)

पटना, दिनांक 02-06-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

आ. वि. नि. डा.